शाः आः 3574.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुष्ठेद 309 के परन्तुक ग्रीर अनुष्ठेद 148 के खण्ड (5) में प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्री य मिवल मेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण श्रीर श्रपील) नियम, 1965 में श्रीर संणोधन करने के लिए, निम्नलिखिन नियम बनाते हैं, शर्यात् :--

- ा. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय मिनिल सेवा (वर्गीकरण, नियंक्षण भौर ग्रपील) तृतीय संशोधन नियम, 1977 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।
- 2. केन्द्रीय र्गिवल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण भौर भ्रषील) नियम, 1965 की भनुसूची में, (1) भाग 1---केन्द्रीय सिविल सेवा, समह "क" में प्रविष्टि संव 10 के पण्चान् निस्ननिव्यत प्रविष्टि श्रंतः स्थापित की जाएगी, भर्थान्:---
  - ''। । क भारतीय सिवित लेखा सेवा'',
  - (11) भाग-२ केन्द्रीय मिविल सेवा, समूह ''ख'' में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियौं मंतःस्थापित की जाएगी सर्थात्.---

क्रम सं०	सेवाका वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्त्रियां अधिरोपित करने के लिए सम सक्षम प्राधि- कारी श्रीर वे शास्त्रियां जो यह अधिरोपित कर सकता है (नियम 11 में सच संख्यांकों के प्रतिनिर्देश से)	ध्रपील प्राधिकारी	शास्तियां	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
	ारत सरकार के	(क) महालेखा संयुक्त महालेखा	नियं <mark>त्रक के कार्यालय के प्रधिकारी</mark> संयुक्त महाले <mark>खा</mark> नियं <mark>त्र</mark> क	द्मीर वे द्मधिकारी जो काइरबा (I) से (IV) तक	,	नियुक्त है ं(I)से (IV)तक
विभागीकृत लेखा कार्यालयों के लेखा अधिकारी		नियम्रक	महालेखा नियत्रक	(V) मे (IX) तक	गष्ट्रपति	(V) से (LX) तक
		(ख) उन मंद्रालयों/	विभागों में के ग्रधिकारी अहां	प्रधान लेखा भ्रधिकारी मुक्य	लिखानियंत्रक के ग्रे	ड का है।
		मुख्य लेखा नियंत्रक	मुख्य लेखा नियंत्रक	(I) से (IV) तक	महालेखा नियंत्रक	(I) से (IV) तक
		3	महालेखा नियंद्रक		राष्ट्रपति	(V) से (IX) सक
		(ग) ऊपर (क) इ	गैर (ख) में निविष्ट से भिन्न मंत्र		•	, , , ,
		वित्तीय परामर्शी या	वित्तीय परामर्णी या	(I) से (IV) तक		(I) से ([V) सक
		संयुक्त समिव	संयुक्त मिष्य			
		-	महालेखा नियंत्रक	(V) से (IX) सक	राष्ट्रपति	(V) से (IX) तक"

(III) भाग 3-केन्द्रीय मिविल सेवा, समूह (ग) (रक्षा नेवा में के निविलियनों के सिवाय) में, कम सं IV के सामने, मद (III) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखन मदें भीर प्रविष्टियों धनः स्थापित की जाएगी, प्रथात्ः—

1	2	3	4		6
"IV	(1) विभागोक्कन लेखा कार्यालयों में नि० श्रे० लि० मे भिन्न मभी समृह 'ग' के पव	लेख।नियंत्रक या उप-मचित्र (उन- मंत्रालयों/त्रिभागों में जहां, कोई लेखानियत्नक नहीं है)	लेखा नियंत्रक या उप- मिषव (प्रशासन) (उन सभी मंत्रालयों/विभागों में जहां कोई लेखा नियंत्रक नहीं है)		वित्तीय परामर्शी संयुक्त सचिय (त्रशा०) उन सभी बालयों या विभागों में जहां १०प० नहीं है।
(2)	विभागीकृत लेखा कार्यांसयों में नि० श्रे० नि०	उप लेखा नियंक्षक या भवर समिव (उन मंज्ञालयों/में जहां उ० ले० नि० वहों है)	उ० ले० नि० या० म्रवर सचिव (प्रशा०) उन मंत्रालयों/विभागों में जहां उ० ले० मि० नहीं है।	•	लेखा नियंत्रक (उन विभागों में जहां प्रधान लेखा ग्रधिकारी प्रधाम लेखा नियंत्रक के ग्रेड का है) या विक्तीय परामशीं/संयुक्त सचिव प्रणा०) उन मंत्रालयों/विभागों में जहां विक्तीय परामणीं महीं हैं।"

5. भनुभूची में, भाग 4----"केन्द्रीय सिविल सेथा, समूह 'घ' (रक्षा के पश्ची में के सिविलीयनों के मिवाय)" में विद्यमान प्रविन्टियों के पश्चीत् निम्नलिखित प्रविद्यियां भन्तःस्थापित की जाएंगी, भवति :---

1	2	3	4	5	6	7_
"([V) विभागीकृत समूह 'घ' पद	लेखा कार्यालयों के	सभी बैतन एवं लेखा श्रधिकारी	बेतन एवं लेखा अधिकारी	मभी	नेखा नियंक्षक या उप लेखा नियंक्षक या [श्वर सचिय(प्रशासन) उन मधी मंत्रालया/ विभागों] जहां लेलनिक नहीं है।	

[सं॰ 11012/12/77-ईएसटीएस] श्राप्ति गी० गुप्ता, उप सचित्र

- S.O. 3574,—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely:—
  - 1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Third Amendment Rules, 1977.
    - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, (i) in Part I—Central Civil Services, Group "A"—After the entry No. 10, the following entry shall be inserted, namely:—
  - "10 A Indian Civil Accounts Service.";
  - (ii) in Part II—Central Civil Services, Group 'B'-after the existing entries, the following entries shall be inserted, namely:

S. No	Description of service	Appointing Authority	Authority Competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to the item Nos. in Rule 11)	Appellate Po Authority	enalties	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
	Accounts Officers of the Department- alised Accounts	(a) Officers in the Office of the Controller General of Accounts.				
	Offices of Government of India.	Joint Controller General of Accounts	Joint Controller General of Accounts.	(i) to (iv)	Controller General of Accounts	(i) to (iv)
			Controller General of Accounts	(v) to (ix)	President	(v) to (ix)
		(b) Officers in the Ministries/ Departments where the Principal Accounts Officer is of the grade of the Chief Controller of Accounts.				
		Chief Controller of Accounts	Chief Controller of Accounts	(i) to (iv)	Controller General of Accounts	(i) to (iv)
			Controller General of Accounts	(v) to (ix)	President	(v) to (ix)
		(c) Officers in the Ministries,  Departments other than those referred to in (a) and (b) above.	l			
		Financial Adviser [Joint Secretary (Administration) in the Ministries/Departments where there is no Financial Adviser]	Secretary (Adminis- tration) in the Minis	•	Controller General of Accounts	(i) to (iv)
			Controller General of Accounts	f (v) to (ix)	President	(v) to (ix)"

(iii) in Part III—"Central Civil Services, Group "C" (except for Civilians in Defence Services)" against S. No. 4, after item (iii) and the entries relating thereto, the following items and entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6	
'(iv) 1.	other than Lower Division Clerks in the departmentalised Accounts Offices.	Deputy Secretary (in the Ministries/Departments) where there is no Controller of Accounts.  Deputy Controller of Accounts	Controller of Accounts or Deputy Secretary (Administration) (in the Ministries/Departments) where there is no Controller of Accounts Deputy Controller of Accounts or Under Secretary (Administration) (in the Ministries/Departments) where there is no Deputy Controller of Accounts.	All	Financial Advisor [Joretary (Administrative Ministries, ments where there Pinancial Advisor Controller of Account Ministries/Dep where Principal Officer is of the Controller of Administrative or Financial Advisor Pinancial Advisor Where the Pinancial Advisor.	tion) in (Depart- is is no  r]  unts (in  artments  Accounts  grade of  Accounts)  for [Joint  istration)  s/Depart- re is no
	. In the Schedule, in Part, the following entry shall	IV—"Central Civil Services, Gro l be inserted, namely:—	oup 'D' (Except for Civilians in	Defend	es Services)" after the	existing
1	2	3	4	5	6	7
I		the Pay and Accounts Officer ounts	Pay and Accounts Officer.	All L	Dy. Controller of Ac- counts or Controller of Accounts or (Under Secretary (Adminis- tration) in the Minis-	•

[No. 11012/12/77-Ests. A] R. C. GUPTA, Dy. Secy.

tries where there is no Deputy Controller of Accounts or Controller of Accounts.]